लोगों के काम वक्त पर न हुए तो अफसरों पर जुर्माना: देव

डिपार्टमेंट्स को सिटीजन चार्टर बनाने के निर्देश

सिटी रिपोर्टर | चंडीगढ़

पब्लिक के काम में ढील बरतने पर अभी तक तो अफसरों को एडवाइजर से झाड़ ही पड़ रही थी, पर अब उन्हें ऐसी लापरवाहियों के लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

एडवाइजर विजय देव का कहना है कि उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को अपना-अपना सिटीजन चार्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पब्लिक के हर काम को पूरा करने के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाएगा। उस टाइम में अगर अफसरों ने काम नहीं किया तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी जो उनकी सैलरी से कटेगी। देव ने मंगलवार को सेक्टर-7 में ई-संपर्क सेंटर में डेबिट-क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट की सर्विस लॉन्च की। उन्होंने कहा कि प्रशासन में काम कर रहा हर अफसर आम पब्लिक के लिए ही है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहा तो वो फाइनेंशियल पेनल्टी के लिए लायबल भी है। पूर्व प्रशासक ले.जनरल जेएफआर जैकब के कार्यकाल में प्रशासन ने इस्टेट ऑफिस, डीसी ऑफिस और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में सिटीजन चार्टर लागू कर दिया था। उनके चंडीगढ़ से जाते ही ये सर्विसेस ठप पड़ गईं।

▪ जुलाई से घर बैठे पेमेंट | पेज 03

राइट टू सर्विस एक्ट भी होगा लागू

लंबे समय से फाइलों में पड़े राइट टू सर्विस एक्ट को भी प्रशासन अब लागू करने जा रहा है। इसका प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। अब इसे मंजूरी के लिए एमएचए भेजा जाएगा। एमएचए से मंजूरी मिलने पर इस एक्ट को शहर में लागू कर दिया जाएगा। इस एक्ट के लागू होने से अफसरों की जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी।

सेक्टर-7 में बनेगा कम्युनिटी सेंटर

सेक्टर-7 की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने एरिया में कम्युनिटी सेंटर बनाने की मांग रखी। उनकी मांग पर एडवाइजर ने निगम कमिश्नर वीपी सिंह को कम्युनिटी सेंटर जल्द से जल्द बनवाने के निर्देश दिए।